कार्यालय

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पाकुड़

(जिला खनन शाखा)

उपायुक्त, पाकुड़ की अध्यक्षता में योजनाओं के चयन हेतु दिनांक 19.08.17 को आयोजित जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के बैठक की कार्यवाही

उपायुक्त, पाकुड़ की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों/सदस्यों ने भाग लियाः–

उपस्थिति : – पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम उपायुक्त, पाकुड़ द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों/सदस्यों का परिचय करवाया गया।

1. बैठक में उप–विकास आयुक्त–सह–सदस्य सचिव, पाकुड़ द्वारा जिल खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के संबंध में जानकारी दी गयी। उनके द्वारा सरकार के द्वारा दिए गये निदेश की जानकारी उपस्थित सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को दी गई कि सर्वप्रथम् डी0एम0एफ0टी0 द्वारा प्राप्त राशि से पेयजलपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए चयन करना है।

2. बैठक में माननीय विधायक श्री आलमगीर आलम एवं श्री स्टीफन मरांडी के द्वारा बताया गया कि पानेम कोल माईन्सि लि0 एवं बंगाल एम्टा कोल माईन्स लि0 के पास वकाये डी0एम0एफ0टी0 के रूपये के बकाये राशि वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

3. उपायुक्त, पाकुड़ द्वारा बताया गया कि खनन क्षेत्रों के जिस गांव में पानी की अधिक दिक्कत है, उस गांव में शुद्ध पेय जल की आपूर्ति हेतु प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसमे सोलर सिस्टम की भी ब्यवस्था रहे, ताकि पानी की सप्लाई बाधित न हो। इस पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान किया गया।

4. उपायुक्त, पाकुड़ द्वारा बताया गया कि प्रत्येक प्रखण्ड में Water ATM की ब्यवस्था की जाएगी, जिसके तहत लाभुकों से 20 पैसे प्रति लीटर की दर से न्युनतम शुल्क लिया जाएगा, ताकि माशीन आदि का Maintanence कार्य हो सके। इसपर सभी सदस्यों के द्वारा सहमति दी गयी।

5. उपस्थित सदस्यों के द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु प्राथमिकता दी जानेवाले गांव की सूची उपलब्ध करायी गई, जिसमें से प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित गांवों में पेय जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया गयाः—
(1) मालपहाड़ी (2) खपड़ाजोला (3) पीपलजोड़ी (4) चेंगाडांगा (राजबांध, हरिपुर, कान्हुपुर) (5) सुन्दरपहाड़ी एवं (6) श्रीरामगढ़िया।

6. उपायुक्त महोदय के द्वारा कार्यपालक अभियंता, पेयजल स्वच्छता प्रमण्डल, पाकुड़ या किसी नयी कन्सलटेन्ट का चयन करते हुए प्राक्कलन डी0पी0आर0 तैयार कराने का प्रस्ताव दिया गया, जिसपर सभी सदस्यों द्वारा सहमति दी गयी। उपायुक्त महोदय के द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि पेयजल आपूर्ति के रख–रखाव के लिए ए0एम0सी0 का फार्म किसी कम्पनी को उनकी क्षमता एवं अनुभव के आधार पर देना उचित होगा, इसपर सभी सदस्यों के द्वारा सहमति दी गयी।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

19/8/2017 — 19.8.17 — 19/8

जिला खनन पदाधिकारी,	उप–विकास आयुक्त,	उपायुक्त,
–सह–सदस्य, पाकुड़	–सह–सदस्य सचिव,	–सह–अध्यक्ष
जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट	जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट	जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट

ज्ञापांक 1777 / एम0, पाकुड़, दिनांक 19/08/17

प्रतिलिपि : सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/8/2017 — 19.8.17 — 19/8

जिला खनन पदाधिकारी,	उप–विकास आयुक्त,	उपायुक्त,
–सह–सदस्य, पाकुड़	–सह–सदस्य सचिव,	–सह–अध्यक्ष
जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट	जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट	जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट